

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'अड़तालीस'

[18/7/2016]


प्रश्न सं. [क. 677]

परिशिष्ट-एक


तारांकित प्रश्न क्र.677

दिनांक 18.07.2016

स०क्र०	संभाग का नाम	जिले का नाम	राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक की संख्या	राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों की संख्या
1	2	3	4	5
1	ग्वालियर	श्यापुर	11(03 सेवानिवृत्त)	01 (सेवानिवृत्त)
2		मुरैना	01	00
3		भिण्ड	04	04
4		ग्वालियर	01	01
5		शिवपुरी	0	0
6		गुना	01	01
7		दतिया	05	02
8		अशोकनगर	03	01
9	उज्जैन	देवास	08	01
10		रतलाम	04	02
11		शाजापुर	03	02
12		मंदसौर	01	00
13		नीमच	01	01
14		उज्जैन	09	02
15	इंदौर	इंदौर	9	7
16		धार	0	0
17		झाबुआ	आदिम जाति कल्याण विभाग के लिये	
18		अलीराजपुर		
19		खरगौन	1	1
20		बडवानी	आदिम जाति कल्याण विभाग के लिये	
21		खण्डवा	0	0
22		बुरहानपुर	0	1
23	भोपाल	भोपाल	4	3
24		सीहोर	5	3
25		रायसेन	7	0
26		राजगढ	3	0
27		विदिशा	4	0
28	होंशगाबाद	बैतूल	13	10
29		होंशगाबाद		
30		हरदा		


 जयपुर आदिम जाति कल्याण विभाग,
 मध्य प्रदेश शासन,
 स्कूल शिक्षा विभाग (कक्षा-1),
 बंधार, भोपाल

31	सागर	सागर	13	04
32		दमोह	04	03
33		पन्ना	निरंक	निरंक
34		छतरपुर	निरंक	निरंक
35		टीकमगढ	1	2
36	जबलपुर	जबलपुर	05	02
37		कटनी	02	00
38		नरसिंहपुर	03	01
39		छिंदवाडा	03	04
40		सिवनी	08	00
41		मण्डला	02	01
42		बालाघाट	03	02
43	रीवा	रीवा	0	0
44		सीधी	0	0
45		सतना	0	3
46		सिंगरौली	1	0
47	शहडोल	शहडोल	10	06
48		उमरिया		
49		अनुपपुर	आदिम जाति कल्याण विभाग के लिये	
50		डिण्डौरी		
	योग-		155	71


 अनुभाग अधिकारी
 मध्य प्रदेश शासक,
 स्कूल शिक्षा विभाग (खण्ड-1),
 मंत्रालय, भोपाल

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

परिशिष्ट - दो

पत्तलम भवन भोराल-462004.


--:: आदेश ::--

भोपाल, दिनांक 24/9/2003

क्रमांक एफ 34-2/2002/20-4 :- राज्य शासन एतद् द्वारा राष्ट्रपति/राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त तैवारत शिक्षकों को, जिन्होंने किसी भी वर्ष राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किया है, दो वेतनवृद्धि तथा राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त तैवारत शिक्षकों को एक वेतनवृद्धि प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है।

2/- यह लाभ भूलेखी प्रभाव से प्राप्त नहीं होगा।

मध्य प्रदेश के, राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


24/9/03.
४ ए० के० कृष्ण
अवर सचिव


मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.

भोपाल, दिनांक 24/9/2003

गृहणांक एफ 34-2/2002/20-4

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, मान०मुख्यमंत्रीजी, मध्य प्रदेश भोपाल ।
2. निज सहायक, मान०मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग ।
3. स्टाफ आपीतर, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल ।
4. महालेखाकार, मध्य प्रदेश वित्त विभाग ।
5. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
6. अतिरिक्त सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर उनकी टीम मू०ओ० न०३५/ए० ३/०३ - दिनांक 23/8/2003 के तदर्थ में अग्रोपिष्ट ।
7. आपुक्त, लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश भोपाल ।


अनुभाष अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग (खाना-1),
मंत्रालय, भोपाल

निरंतर... 2/...